उत्तरखंड उच्च न्यायालय नैनीताल
श्री न्यायाधीश, एस0 के0–मिश्रा, ,ए0सी0जे0.
और
श्री न्यायाधीश आर0 सी0. खुल्बे, जे।
लिखित याचिका (एस/बी) सं0 105 /2021

6 अप्रैल 2022

मध्यः

रजत कपिल..................................याचिकाकर्ता।

और

उत्तराखंड राज्य और अन्य.............प्रत्यर्थी।

याचिकाकर्ता के लिए वकीलः श्री ,एम0सी0. पंत, विद्वान अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3 के लिए परामर्शः श्री बी0,एस0. परिहार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए वकीलः विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष जोशी,

विद्वान अधिवक्तागण को सुनने पर, न्यायालय ने निम्नलिखित किया निर्णय (द्वारा श्री ,एस0 के0 मिश्रा, ए0सी0जे0)

इस रिट याचिका को दायर करके, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोषों की याचना की गयी :–

(i) इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 और 2 में निहित दिनांक 10.12.2020 के आदेश के साथ मिलकर दिनांक 23.02.2021 के आक्षेपित आदेश को मनमाना, अन्यायपूर्ण, अनुचित और शून्य घोषित करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना और प्रत्यर्थियों से पूरे रिकॉर्ड को बुलाने के बाद भी इसे इसके प्रभाव और संचालन के साथ रद्द करना; और प्रत्यर्थियों को आगे आदेश देना कि याचिकाकर्ता को 13.03.2021 को निर्धारित सहायक वन संरक्षक की अंतिम परीक्षा में भाग लेने की अनुमति ऐसे दी जाए, जैसे कि वह आक्षेपित आदेश कभी भी अस्तित्व में नहीं था और याचिकाकर्ता को तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पद के लिए योग्य माना जाए।

ii प्रत्यर्थी ए. आई. सी. टी. ई. को उचित निर्देश जारी करें कि वह प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 द्वारा जी0बी0 पंत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एक स्वायत्त महाविद्यालय) द्वारा उत्पादन इंजीनियरिंग की

डिग्री को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री से समतुल्यता के सम्बन्ध में जी0 बी0 पंत इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा स्वीकार की गई समतुल्यता को दृष्टिगत रखते हुए पैदा की गई विसंगति और भ्रम के सम्बन्ध में पूछताछ करके तुरंत उचित आदेश या दिशानिर्देश जारी करे।

iii एआईसीटीई, यूजीसी, जीबीपीआईईटी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से तुरंत विशेषज्ञों की नियुक्ति करके समतुल्यता और योग्यता की तुलना करने के उद्देश्य से तुरंत समतुल्यता समिति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए ताकि अनावश्यक भ्रम से तुरंत बचा जा सके।

iv कोई अन्य रिट, नियम या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे।

2 इस न्यायालय द्वारा 05.03.2021 को पारित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता को मार्च, 2021 के महीने में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा देने की अस्थायी रूप से अनुमति दी गई थी। इसके बाद, वह परीक्षा में बैठे, और दिनांक 20.12.2021 के आदेश के कार्यवृत्त के अनुसार, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने सहायक वन संरक्षक (संक्षेप में "एसीएफ") के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

3 मामले के तथ्य इस स्तर पर विवाद में नहीं हैं। याचिकाकर्ता ने जी0बी0 पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, घुरदौरी, पौड़ी गढ़वाल (संक्षेप में "जीबीपीआई एंड टी")। वर्ष 2015 में उन्हें "प्रोडक्शन इंजीनियरिंग" में B.Tech की डिग्री से सम्मानित किया गया था। दिनांक 12.09.2017 को, तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा एसीएफ के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या No.A-1/E-1/ACF/2019–20 के माध्यम से ACF के पद के लिए दिनांक 30.07.2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। "जीबीपीआई एंड टी" द्वारा याचिकाकर्ता को समकक्षता प्रमाण पत्र दिनांक 14.08.2019 को,जारी किया गया था।

दिनांक 20.08.2019 को याचिकाकर्ता ने एसीएफ के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया।, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एसीएफ के पद के लिए दिनांक 09.11.2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। तमिलनाडु राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने जी0ओ0 (एमएस) No.270 के द्वारा डिग्री की समानता के संबंध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (संक्षेप में "AICTE") के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन दिनांक 12.02.2020 को जारी किया गया था। इसी तरह दिनांक 21.04.2020 को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एसीएफ के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। दिनांक 10.12.2020 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी। दिनांक 15.12.2020 को, याचिकाकर्ता ने सचिव, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा, जिसमें सूचित किया गया कि उनका नाम अयोग्य उम्मीदवारों की सूची में उसकी अपात्रता के कारणों के साथ दर्शित था। दिनांक 23. 02.2021 को, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निस्तारण किया।

4. इस मामले में विचार के लिए एक छोटा प्रश्न यह है कि "क्या याचिकाकर्ता जिसे "प्रोडक्शन इंजीनियरिंग" में B.Tech की डिग्री से सम्मानित किया गया है, वह ACF के चयन के लिए परीक्षा में बैठने के योग्य है?"

5. सबसे पहले, श्री एम0सी0 पंत याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट के पेज नंबर. 34 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, अर्थात संलग्नक संख्या. 3 का भाग जो आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्रदान करता है। जो नीचे दिया गया है:–

"आवश्यक शैक्षिक योग्यता: सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या निम्न में से कम से कम एक विषय के साथ समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।– (i) कृषि, (ii) वनस्पति विज्ञान, (iii) रसायन विज्ञान, (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान,(v) इंजीनियरिंग–कृषि/ रसायन/ सिविल/ कंप्यूटर/ इलेक्ट्रिकल /इलेक्ट्रॉनिक्स/ मैकेनिकल, (vi)

पर्यावरण विज्ञान, (vii) वानिकी, (viii) भूविज्ञान, (ix) बागवानी, (x) गणित, (xi) भौतिकी, (xii) सांख्यिकी, (xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान, (xiv) प्राणी विज्ञान।

6 विद्वान अधिवक्ता श्री पंत ने क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले नियम को भी हमारे ध्यान में लाया, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जवाबी शपथ पत्र में इसके संलग्नक के रूप में दायर किया गया है। नियमों में 2019 के संशोधन नियमों द्वारा संशोधन किया गया है। मौजूदा नियम और प्रतिस्थापित नियम को निम्नानुसार अमूर्त किया गया है:–

कॉलम–1 मौजूदा नियम	कॉलम–2 नियम जो प्रतिस्थापित किया गया है,
शैक्षिक योग्यता	शैक्षिक योग्यता
8. सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या समय–समय पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, कम से कम निम्नलिखित विषयों में से एक में, i-e. (i) कृषि, (ii) वनस्पति विज्ञान, (iii) विज्ञान, (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान, (v) इंजीनियरिंग – कृषि रसायन/सिविल/कंप्यूटर/इलेक्ट्रकल/इलेक्ट्रॉनिक्स/ मैकेनिकल, (vii) पर्यावरण विज्ञान, (vii) वानिकी, (viii) भूविज्ञान, (ix) बागवानी, (x) गणित, (xi)	• सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास भारत में कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से विज्ञान, प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या निम्न में से कम से कम एक विषय के साथ समकक्ष डिग्री होनी चाहिए।(i) कृषि, (ii) वनस्पति विज्ञान, (iii) रसायन विज्ञान, (iv) कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान, (v) इंजीनियरिंग – कृषि/ रसायन/ सिविल/ कंप्यूटर/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल, (vii) पर्यावरण विज्ञान, (vii) वानिकी, (viii) भूविज्ञान, (ix) बागवानी,

भौतिकी,(xii) सांख्यिकी, (xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान, (xiv) प्राणी विज्ञान।	(x) गणित, (xi) भौतिकी,(xii) सांख्यिकी, (xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान, (xiv) प्राणी विज्ञान।

7. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एसीएफ के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित विषयों में डिग्री होनी चाहिएः–

i विज्ञान में स्नातक; या

ii प्रौद्योगिकी में स्नातक; या

iii इंजीनियरिंग में स्नातक; या

iv निम्न में से कम से कम एक विषय के साथ एक समकक्ष डिग्री।–

(i) कृषि,

(ii) वनस्पति विज्ञान,

(iii) रसायन विज्ञान,

(iv) कंप्यूटर एप्लीकेशन/कंप्यूटर साइंस,

(v) इंजीनियरिंग–कृषि/ रसायन/ सिविल/ कंप्यूटर/ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ मैकेनिकल,

(vi) पर्यावरण विज्ञान,

(vii) वानिकी,

(viii) भूविज्ञान,

(ix) बागवानी,

(x) गणित,

(xi) भौतिकी,

(xii) आंकड़े,

(xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान,

(xiv) जूलॉजी"।

8 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी विषय में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री रखने वाला उम्मीदवार परीक्षा में बैठने

के लिए पात्र है।

9 यह याचिकाकर्ता द्वारा दायर मार्कशीट, अर्थात संलग्नक संख्या 10 से भी स्पष्ट है कि दूसरे सेमेस्टर में, उनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 100 अंक का विषय था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने "प्रोडक्शन इंजीनियरिंग" में B.Tech पास करते समय मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक विषय के रूप में था।

10 यह देखा गया है कि निदेशक, जीबीपीआई एंड टी, पौड़ी गढ़वाल ने एक प्रमाण पत्र दिया है कि जीबीपीआई एंड टी से "प्रोडक्शन इंजीनियरिंग" को उच्च शिक्षा में प्रवेश के साथ–साथ नौकरी के आवेदन के लिए "मैकेनिकल इंजीनियरिंग" के समकक्ष माना जाएगा।

11 इसके अलावा, रिट याचिका के संलग्नक संख्या 7 से, यह स्पष्ट है कि वाइस चांसलर (एफएसी), तमिलनाडु राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने अपने पत्र संख्या G.O एम0एस0 No.270 में, दिनांक 06.11.2019 को आयोजित समतुल्यता समिति की दूसरी बैठक और 12.11.2019 को आयोजित समतुल्यता समिति की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त भेजे हैं, और समतुल्यता समिति द्वारा 06.11.2019 और 12.11.2019 को आयोजित बैठकों के अनुसरण में कई प्रस्तावों के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। दिनांक 06.11.2019 को आयोजित समतुल्यता समिति की दूसरी बैठक, संकल्प संख्या. 230 के अनुसार, "BE/B.Tech. में शैक्षणिक योग्यता, लोक सेवाओं में रोजगार के उद्देश्य से अन्ना विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित 'प्रोडक्शन इंजीनियरिंग' की डिग्री 'मैकेनिकल' में B.E./B.Tech के बराबर माना गया है।

12. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि तमिलनाडु राज्य में भी, "प्रोडक्शन इंजीनियरिंग" में B.Tech. को "मैकेनिकल इंजीनियरिंग" में B.Tech के बराबर माना गया है। यह समरूपता उत्तराखंड राज्य के लिए भी लागू की जा सकती है।

13 इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि वह उत्तराखंड राज्य को एआईसीटीई, यूजीसी, जीबीपीआई एंड टी, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों की नियुक्ति करके समानता और योग्यता की तुलना करने के उद्देश्य से समतुल्यता समिति स्थापित करने का निर्देश दे। राज्य सरकार द्वारा समतुल्यता समिति का गठन नहीं किया गया है, हालांकि कई छात्रों/उम्मीदवारों को ऐसी समस्याओं

का सामना करना पड़ रहा है।

14 मामले के उक्त दृष्टिकोण में, हम यह मानते हुए रिट याचिका को स्वीकार करते हैं कि याचिकाकर्ता एसीएफ के पद के लिए आवेदन करने के लिए अर्हित और योग्य है, और इस बीच, वह पहले ही परीक्षा में बैठ चुका है, चयन प्रक्रिया का सामना कर चुका है, और उसका चयन किया जा चुका है।

15 इस प्रकार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या. 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करे और राज्य सरकार याची को अब से दो दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करें।

एसीएफ के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार तय की जाएगी, न कि उनके शामिल होने की तारीख के अनुसार।

16 यह भी निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर शिक्षा और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लेकर समतुल्यता समिति का भी गठन करेगी।

17 इस आदेश की तत्काल प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को जारी की जाए।

18 लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(एस0 के0 मिश्रा, एस0सी0जे0)
(आर0सी0 खुल्बे, जे.)

तारीखः06 अप्रैल, 2022
निशांत